अर्द्धशा0प0सं0-।263/चौवालिस-2-63/85

सुरेन्द्र सिंह,
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2
लखनऊ : दिनांक ।6 नवम्बर, ।985

प्रिय महोदय,

अध्यक्ष सर्तकता आयोग ने सार्वजनिक उद्यमों/निगमों में सेवा नियमावलियां न होने के कारण भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में आने वाली बाधाओं को सूचित करते हुए, शासन से यह अनुरोध किया है कि प्रदेश के समस्त निगमों/उद्यमों में यथाशीघ्र सेवा नियमावली लागू की जाय।

2-इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि सर्तकता आयोग की उपर्युक्त सिफारिशों को देखते हुए अपने स्तर पर लम्बित सेवा नियमावलियों को तत्काल अनुमोदित कर सार्वजनिक उद्यम विभाग को अन्तिम अनुमोदनार्थ प्रेषित करने का कष्ट करें तथा जिन निगमों की सेवा नियमावली उनके निदेशक मण्डल स्तर पर लम्बित हैं, उन्हें निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने निदेशक मण्डल से पारित कराकर शासन को तत्काल प्रेषित करें। साथ ही मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन निगमों ने अभी तक सेवा नियमावली नहीं बनाई है, उन्हें उपर्युक्त कार्यवाही तुरन्त शुरू करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3-अध्यक्ष सर्तकता आयोग के पत्र सं0-।385 स0आ0/85, दिनांक 4 अक्टूबर, ।985 की प्रतिलिपि अवलोकनार्थ संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह,

शासन के निगमों से संबंधित सचिव/विशेष सचिव।

प्रिय महोदय,

उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि आपके पत्र सं0-।385/स0आ0/85, दिनांक 4 अक्टूबर, ।985 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय,
सुरेन्द्र सिंह,

श्री के0 वाधवानी,
सचिव,
डिफेन्स कमीशन एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिबुनल-।
यू0पी0 5वां तल, जवाहर भवन,
लखनऊ।